



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

E-Mail ID:rajpr_dsplan@rediffmail.com

Tel & Fax : (O) 0141-2385027

क्रमांक:एफ.4()परावि/आप्र/ग्रा.पं.वि.यो.(GPDP)/2015-16/1555 जयपुर, दिनांक: 5/10/2015

--: आदेश :-

14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में राज्य में विकेन्द्रीकृत एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जानी है। ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर समन्वित रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना का अन्तिम प्रारूप तैयार करने, उसका क्रियान्वयन एवं समीक्षा करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 1. नोडल प्रधानाध्यापक | - | अध्यक्ष |
| 2. कृषि पर्यवेक्षक | - | सदस्य |
| 3. ए.एन.एम. | - | सदस्य |
| 4. आंगनबाडी कार्यकर्ता(मुख्यालय) | - | सदस्य |
| 5. पटवारी | - | सदस्य |
| 6. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी | - | सदस्य |
| 7. पूर्व जनप्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 8. ग्राम सचिव | - | सदस्य सचिव |

यह समिति ग्राम पंचायत स्तर के सभी विभागों के बीच समन्वयन का कार्य सरपंच के मार्गदर्शन में करेगी तथा समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलक्टर, जिला-समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
6. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ-समस्त।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा-समस्त।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-समस्त।
9. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी-समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति-समस्त।
11. ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत-समस्त।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)